हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 69

शुक्रवार, 20 मार्च, 2015/29 फाल्गुन, 1936(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

11-00-05 AM

प्रश्नोत्तरः

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्या 1633 से 1636 एवं 1638 और 1639 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। संबंधित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 1637 और 1640 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 1632 के उत्तर पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 1641 से 1664 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 794 से 796 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00-10 PM

मंत्री द्वारा वक्तव्यः

दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रदेश में स्वाईन फ्लू से हुई मौतों के बारे में उठाए गए महत्वपूर्ण विषय के संबंध में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने अतिरिक्त जानकारी देते हुए वक्तव्य दिया।

12-01-20 PM

श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य ने अध्यक्षपीठ की अनुमति से 18 मार्च, 2015 को विधान सभा भवन के बाहर किसी राजनितिक दल के प्रदर्शनकारियों पर हुए हमले के बारे में माननीय मुख्य मंत्री को सरकार की स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया जिस पर माननीय मुख्य मंत्री ने इस विषय को किसी अन्य नियम के अन्तर्गत उठाने की सलाह दी। तत्पश्चात प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने दृढ़तापूर्वक इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री से स्पष्टीकरण देने हेतु आग्रह किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने घटना की वस्तुस्थिति बताते हुए सरकार का पक्ष स्पष्ट किया।

12-06-48 PM

2. **कागजात सभा पटल परः**

श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास निदेशालय, विधि अधिकारी, वर्ग-II(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःएस जे इ-ए-ए(3)-4/2011 दिनांक 16.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.10.2014 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

12-07-10 PM

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **93वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 286वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **80वें मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 335वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है।

12-07-40 PM

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

श्री सुरेश भारद्वाज ने "शिमला में मैट्रोपोल विधायक सदन के नीचे कार्टरोड पर सड़क टूटने से उत्पन्न स्थिति की ओर **माननीय मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित किया।"

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया

श्री सुरेश भारद्वाज ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

सदन की बैठक अपराह्न 12-18-42 बजे सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2015 के अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई ।